न्यायालय सहायक कलक्टर ...
पीठासीन अधिकारी —श्री रामजी भाई कलबी, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :— 107/2019 अन्तर्गत धारा 251 'ए' Rt Act

अनवान :—

प्रार्थीगण :— 1. धर्मराज पुत्र सिमरथाराम 2. हीराराम पुत्र केसाराम
जाति सुथार निवासी नवातला बाखासर तहसील सेड़वा जिला बाड़ेमर।

बनाम

विप्रार्थीगण :— 1. रामचन्द्र पुत्र भैराराम 2. भगवानाराम पुत्र भैराराम
3. दलूदेवी पत्नी भगवानाराम 4. देवू पत्नी अलसाराम जाति जाट
निवासी नवातला बाखासर तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर
5. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. शाखा सेड़वा जिला बाड़मेर।
6. तहसीलदार सेड़वा जिला बाड़मेर।

वकील प्रार्थीगण :— श्री श्रीराम विश्नोई
वकील विप्रार्थीगण :— श्री दोष मोहम्मद

निर्णय

दिनांक 16.12.2022

प्रार्थीगण धर्मराज पुत्र सिमरथाराम वगैरा जाति सुथार निवासी नवातला बाखासर तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एक सद्भाविक काश्तकार है एवं प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जाशुदा खेत खसरा संख्या 317/156 रकबा 30.00 बीघा व खसरा संख्या 415/156 रकबा 30.00 बीघा मौजा नवातला बाखासर पटवार क्षेत्र नवातला बाखासर तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर में आया हुआ है। जिस पर प्रार्थीगण का अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त है जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त करता है तथ अपने रहवास हेतु ढाणियां, टांके व मवेशियों के बाड़े आदि बने हुए है। प्रार्थीगण की जोत व ढाणी पर आने जाने हेतु विप्रार्थी संख्या 1 से 4 के खेत खसरा संख्या 151 रकबा 47.19 बीघा व खसरा संख्या 310/150 रकबा 35.16 बीघा मौजा नवातला बाखासर पटवार क्षेत्र नवातला बाखासर तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर में से आगे सरकारी रास्ते तक आने जाने के रूप में प्रयोग में ले रहे है जिसे रास्ते को परिशिष्ट 'अ' में बरंग लाल से दर्शाया गया है। परन्तु बरसात की ऋतु में विप्रार्थीगण बरंग लाल रास्ते की भूमि पर काश्त कर लेते है जिससे प्रार्थीगण की अपनी जोत से बाधित हो जाते है एवं हर बार रास्ते को लेकर भारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2023.04.06 10:18:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

होता है। झगड़ा होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। जिससे रास्ते की प्राप्ति हेतु उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 251 (ए) पेश कर इस्तदुआ चाही गई।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को सूचना के नोटिस जारी किये गए। विप्रार्थीगण की ओर से अधि. दोष मोहम्मद आये। विप्रार्थी वकील को जवाब पेश करने हेतु अनेक अवसर देने के बावजुद भी जवाब पेश नहीं किया गया। अतः उनका जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा चाहे गये रास्ते के संबंध में पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया तहसीलदार सेड़वा को उक्त चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट तैयार कर भिजवाने हेतु लिखा गया। तहसीलदार सेड़वा ने मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है।

उभयपक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित हुए। तहसीलदार सेड़वा से उक्त चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा प्राप्त प्राप्त हुई, जो शामिल पत्रावली की गई। मौका रिपोर्ट पर उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। मौका रिपोर्ट अनुसार समस्त पक्षकारों को जरिये नोटिस क्रमांक 154 155 दिनांक 19.07.2022 द्वारा मौका निरीक्षण हेतु निर्धारित दिनांक 26.07.2022 को मौके पर उपस्थित रहने हेतु विधिवत रूप से तामिल करवाये गये जिस पर खातेदार भगवानाराम पुत्र भैराराम जाति जाट एवं देवू पत्नी अलसाराम के पति अलसाराम पुत्र भैराराम जाति जाट निवासी एकल मौके पर उपस्थित रहे। शेष खातेदार सूचना के बावजुद अनुपस्थित रहे। प्रार्थीगण धर्मराज वगैराह ने अपनी खातेदारी भूमि पटवार मण्डल नवातला बाखासर के ग्राम नवातला बाखासर के खसरा संख्या 317/156, 415/156 रकबा क्रमशः 30 बीघा, 30 बीघा से सड़क तक पहुंचने हेतु इसी ग्राम के खसरा संख्या 151, 310/150 में से रास्ते की मांग की है इस संबंध में दिनांक 07.10.2021 को भी प्रस्तावित रास्ते की मौका रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिस पर माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर ने निर्णय दिया कि यथा संभव खसरे के दो टुकड़े नहीं किया जाये इसलिए प्रार्थीगण के खातेदारी खेत पहुंचने के दो विकल्प इस प्रकार है– (1)

क्र.सं.	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा बीघा में	किस्म	प्रस्तावित रास्ते की ल. व चौड़ाई	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि बीघा	मौजा	रंग
1	8	2	3	4	5	6	7	
1	रामचन्द्र वल्द भैराराम 1/2 भगवानाराम वल्द भैराराम 1/2 कौम जाट सा0 एकल खातेदार	151	47.19 बीघा	बारानी सोयम	[illegible]	[illegible] बीघा	नवातला बाखासर	हरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2023.04.06 10:18:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

	दलूदेवी पत्नी भगवानाराम 5/8 देवू पत्नी अलसाराम 3/8 कौम जाट सा0 एकल खातेदार	310/150	35.16 बीघा	बारानी सोयम	118 गठ्ठा * 03 गठ्ठा	0.18 बीघा	नवातला बाखासर	हरा

क्र.सं.	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा बीघा में	किस्म	प्रस्तावित रास्ते की ल. व चौड़ाई	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि बीघा	मौजा	रंग
1	8	2	3	4	5	6	7	
1	गुलाबनवी, अब्दुलगनी, अब्दुलरजाक, अब्दुलहक, इस्मत अली पि. हाजी सरीफ 1/2 हि0 मुहीबअली, आदम पि. गफूर खातू पत्नी गफूर 1/2 हि0 जाति मुसलमान सा0 देह खातेदार रहन–मुहीब अली, आदम का हि0 SBBJ सेड़वा	308/147	11.17 बीघा	बारानी सोयम	58गठ्ठा * 03 गठ्ठा	0.09 बीघा	नवातला बाखासर	लाल
2	दलूदेवी पत्नी भगवानाराम 5/8 देवू पत्नी अलसाराम 3/8 कौम जाट सा0 एकल खातेदार	310/150	35.16 बीघा	बारानी सोयम	162 गठ्ठा * 03 गठ्ठा	01.04 बीघा	नवातला बाखासर	लाल

विकल्प 'अ'– ग्राम नवातला बाखासर के खसरा संख्या 423/151 रकबा 01.08 बीघा किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज है। परन्तु मौके पर डामर सड़क बनी हुई है जो सीमा सुरक्षा बल के खसरा संख्या 311/150 तक जाती है सीमा सुरक्षा बल चैक पोस्ट की पक्की दीवार मौके पर खसरा संख्या 151 में बनी होने से 0.05 बीघा भूमि जिसे सलंग्न नक्शें में पीले रंग से दर्शाया गया है, को छोड़कर खसरा संख्या 151 रकबा 47.19 बीघा में से रास्ते हेतु भूमि प्रस्तावित की गई है जो खसरा संख्या 310/150 रकबा 35.16 बीघा में से प्रस्तावित रास्ता सीमा सुरक्षा बल के खसरा संख्या 311/150 के पूर्वी सेढ़े पर बनी दीवार के पास तथा आगे इस खसरें के बीच में खातेदारान के बाहमी बंटवाड़े की मांठ पर प्रस्तावित किया गया है। खसरा संख्या 310/150 के पूर्वी सेढ़े पर खातेदारान की रहवासी टांके, बाड़े आदि बने हुए हैं इसलिये उ[illegible] प्रस्तावित नहीं किया गया। विकल्प 'अ' के प्रस्तावित रास्ते में कुल रकबा 01.02 [illegible] सलंग्न नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2023.04.06 10:18:57 IST
Reason: SelfAttested

विकल्प 'ब'– डामर सड़क से सुरक्षाबल की चेकपोस्ट के मुख्य द्वार से होकर प्रार्थी के खसरा संख्या 317/156, 415/156 तक पहुंचा जा सकता है इसमें चेकपोस्ट का मुख्यद्वार तथा भारत–पाक सीमा की तारबंदी की तरफ आमजन का आवागमन सुरक्षा कारणों से नहीं करने देते

सहायक कलक्टर

इस प्रस्तावित रास्ते में कुल 01.13 बीघा भूमि प्रयुक्त होगी। विकल्प 'ब' प्रस्तावित रास्ते को संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है खसरा संख्या 308/147 में से प्रार्थी द्वारा रास्ता नहीं मांगने के कारण नोटिस नहीं दिये गये। माननीय न्यायालय द्वारा खसरों के यथा संभव टुकड़े नहीं करने के निर्देश है परन्तु विकल्प 'ब' में प्रस्तावित रास्ता सीमा सुरक्षा बल की चैकपोस्ट के मुख्यद्वार से होकर भारत–पाक तारबंदी की तरफ जाता है जहां आमजन को सुरक्षा कारणों से आवागमन नहीं करने देते है तथा इस प्रस्तावित रास्ते में कुल 01.13 बीघा प्रयुक्त होगी जबकि विकल्प 'अ' में प्रस्तावित रास्ते में 01.02 बीघा भूमि प्रयुक्त होगी। जो निकटतम एवं सुगम है इस पर कोई किमती पेड़ मकान आदि नहीं है तथा खसरा संख्या 310/150 के खातेदारान के बाहमी बंटवाड़े की मेड़ पर रास्ता प्रस्तावित किया गया है इसके अलावा कोई सुगम एवं निकटतम रास्ता उपलब्ध नहीं है। ग्राम नवातला बाखासर की डीएलसी दर सिंचित सड़क पर 20107/– प्रति बीघा है सलंग्न नक्शा मौका फर्द का अभिन्न अंग है। फर्द मौका पढ़कर सुनाई गई सही होना स्वीकार कर हस्ताक्षर/अगुष्ठ निशान किया। विप्रार्थी भगवानाराम पुत्र भैराराम एवं देवू पत्नी अलसाराम के पति अलसाराम मौके पर उपस्थित परन्तु हस्ताक्षर करने से इन्कार किया।

प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस व फर्द मौका में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीगण द्वारा रास्ता चाहा गया है वह आंशिक नक्शा में हरे रंग से दर्शाया गया रास्ता प्रार्थीगण को दिया जाना न्यायोचित है क्योंकि वादग्रस्त खसरान में खसरा संख्या 310/150 के टुकड़े किये बिना रास्ता दिया जाना संभव नहीं हैं **इस संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 29.12.2021 को यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है। चुकिं दिया गया रास्ता** सीमा सुरक्षा बल एवं चैकपोस्ट व सुरक्षा नियमों को ध्यान में रखते हुए दिया जाना न्याय संगत होगा। तहसीलदार सेड़वा उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में संलग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है प्रस्तावित नए रास्तें में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिसमें प्रत्येक पक्षकार को देय राशि की अलग अलग गणना की जायेगी।

सलंग्न – आंशिक नक्शा 'अ'

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2023.04.06 10:18:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर सेड़वा

(रामजी भाई कलबी)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा
सहायक कलेक्टर
(SDO) सेड़वा